पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

टावर-4,वॉ8 तल, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ , गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ 226002 – :e- mail : tshq@up.nic.in

पत्र सं0–टीएस–सीसीटीएनएस–68 / 2012 दिनांकःसितम्बर25 , 2019

सेवा में,

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।

विषयः जनपदों में अधिष्ठापित एण्टी पावर थेफ्ट थानों पर नियुक्त कार्मियों को सीसीटीएनएस प्रशिक्षण प्रदान किये जाने विषयक।

सन्दर्भः

शासनादेश संख्या 559पी / छः–पु–6–18–300–(46) / 2014 टीसी दिनांक 07.06.2016,
02 / 2019 / 55पी / छः–पु–6–19–300–(46) / 2014 टीसी–1 दिनांक 09.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक विद्युत अधिनियम–2003 बिजली चोरी के रोकथाम हेतु प्रदेश में 05 डिस्काम के अन्तर्गत जनपदो में अधिष्ठापित एण्टी पावर थेफ्ट थाने के कार्मिकों को सीसीटीएनएस कार्यप्रणाली से अवगत कराये जाने व सीसीटीएनएस पोर्टल पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) के माध्यम से पुलिस के समस्त प्रपत्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें दर्ज किये जाने का प्रशिक्षण सम्बन्धित जनपद कोऑर्डिनेटर सुनिश्चित करायेंगे, तथा उक्त प्रशिक्षण को जनपदीय नोडल अधिकारी सीसीटीएनएस अपने निकट पर्यवेक्षण करने का कष्ट करें।

2. इस कार्यवाही में समस्त जोन / परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कंम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त सीसीटीएनएस प्रशिक्षण में अपेक्षित सहयोग / सतत अनुश्रवण की व्यवस्था जनपद स्तर पर कराने का कष्ट करें।

3. उक्त प्रशिक्षण में किसी प्रकार की जानकारी / समन्वय हेतु श्री कृष्ण मुरारी, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सीयूजीनं0–7839858230 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोपरि।

(असीम अरुण)
अपर पुलिस महानिदेशक,
पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश
(फोन: 9454400175)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतुः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पावर कार्पोरेशन, उ0प्र0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस अधीक्षक स्थापना, सर्तकता अधिष्ठान, उ0प्र0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. पुलिस उपाधीक्षक, सीसीटीएनएस, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
5. श्री कृष्ण मुरारी, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
6. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को ईमेल से पत्र निर्गत, वेबसाइट पर अपलोड, समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित करने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह विभाग
संख्या: 5591/छः-पु0-08-18-300(40)/2014-टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 07 जून, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड(ध) के ऐसे उपबन्धों के अनुसरण में जहाँ तक वे उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड और/या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित हो वहाँ तक इस निमित्त जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य के पचहत्तर राजस्व जिलों में से प्रत्येक जिला में नीचे यथा विनिर्दिष्ट एक विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना घोषित करते हैं:-

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, सन्त कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी।

2. प्रत्येक विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना का सम्पूर्ण राजस्व जिला जहाँ वह स्थापित हो, की अधिकारिता होगी।

3. विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानें अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के समस्त प्रतिष्ठानों हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा-135, 138 से 141 और 150 के अधीन अपराधों का रजिस्ट्रीकरण तथा उनका अन्वेषण करेंगे।

4. सतर्कता जाँच एवं प्रवर्तन दलों के पर्यवेक्षण के वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों का पर्यवेक्षण, समानुदेशन एवं नियंत्रण अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन होंगे।

5. राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानें पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन पुलिस थानें समझे जायेंगे और उक्त पुलिस थानों के पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, उनके कृत्य एवं विशेषाधिकार नागरिक पुलिस अधिष्ठानों में तैनात पुलिस अधिकारियों के उनकी तत्स्थानी श्रेणियों के समतुल्य होंगे।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग

---2---
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद। 12-6-18

संख्या-02 / 2019/55पी /छ-पु-6-19-300(46)/2014टीसी-1

प्रेषक

भगवान स्वरूप

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

लखनऊः दिनांक 09 जनवरी, 2019

विषयः विद्युत अधिनियम-2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु प्रदेश के 05 डिस्काम के अन्तर्गत 75 एण्टी पावर थेफ्ट थाना हेतु पद सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या- 559पी/छ-पु-6-18-300 (46)/2014टीसी दिनांक 07 जून 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के 75 राजस्व जिलों में से प्रत्येक जिला में एक विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना घोषित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत की गयी है तथा इसी क्रम में शासनादेश संख्या-559पी/छ-पु-6-18-300(46)/2014टीसी दिनांक 19-07-2018 द्वारा नीति विषयक आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- प्रकरण में अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज के पत्र संख्या-3/क-372 (ए0पी0टी0पी0एस0)-2017 दिनांक 17-10-2018 के माध्यम से 75 जनपदों में एण्टी पावर थेफ्ट पुलिस थाने की स्थापना हेतु प्रस्तावित 1950+100=2050 पदों के सृजन के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय इस प्रयोजन के निमित्त 2050 पदों (1950+100) को निम्न तालिकानुसार दिनांक 28-02-2019 तक, बशर्ते कि इससे पूर्व उक्त पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाये, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	निरीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (44900-142400)	75
2	उप निरीक्षक नागरिक पुलिस	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 (35400-112400)	375
3	मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (25500-81100)	675
4	मुख्य आरक्षी, कन्सोल आपरेटर	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (25500-81100)	150
5	आरक्षी, नागरिक पुलिस	5200-20200 ग्रेड वेतन 2000/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 (21700-69100)	675
		कुल-	1950

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त थानों के पर्यवेक्षण, उनके स्टाफ/कन्ट्रोल रूम हेतु आवश्यक पदों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	निरीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (44900-142400)	01
2	उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 (35400-112400)	02
3	मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (25500-81100)	27
4	मुख्य आरक्षी, कन्सोल आपरेटर	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (25500-81100)	29
5	आरक्षी, नागरिक पुलिस	5200-20200 ग्रेड वेतन 2000/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 (21700-69100)	41
		कुल-	100

3- उक्त पदों के कार्मिकों के वेतन, भत्तों एवं आवश्यक संसाधनों आदि के मद में आने वाला समस्त व्यय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा।

4- यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12- 30 -दस-2018, दिनांक 09 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या-02 / 2019/55पी/छ-पु-6-19-300(46)/2014टीसी-1, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
5- अपर पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0शक्ति भवन, लखनऊ।
6- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना/कार्मिक/ प्रशासन/लाजिस्टिक /कानून-व्यवस्था /प्रशिक्षण/ एस0टी0एफ0/ ए0टी0एस0 /ई0ओ0डब्लू /पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10- सामान्य प्रशासन विभाग/गृह पुलिस अनुभाग-1/2/10, पुलिस सेवाएं-1/2, उ0प्र0शासन।
11- वित्त व्यय नियंत्रण-12/ वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2, वित्त वेतन आयोग - 1/2, उ0प्र0शासन।
12- गार्ड बुक/ सम्बन्धित स0अ0/ गृह नियंत्रण कक्ष-बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।